

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरूसिंह

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ.

विपक्षी : श्रीमती कृष्णाकुंवर

पत्रावली संख्या : 59/17

जीसीएमएस : 2017/00017

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 10.02.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद का आज दिनांक को फैसल किया जा चुका हैं। अतः मूल वाद का निस्तारण हो जाने से अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

